

# Scholarship Details 2020



## Maharaja Ganga Singh University

A State University of Higher Education for Dignity and Self-Reliance

Approved by UGC under Section 12B of the UGC Act 1956

---

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Raj.) India

<https://mgsubikaner.ac.in/>

## YEAR 2020

Sr	Scheme	Name	Total Amount*
1	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	ASHOK KUMAR	<b>19725</b>
2	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	PRAKASH MEGHWAL	
3	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	JATAN LAL	
4	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	JAYPRAKASH	
5	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	RAHUL	
6	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	AJAY KUMAR JAIPAL	
7	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	RAM LAL	
8	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	SUNILKUMAR	
9	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	KISHANA RAM	
10	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	ASHOK KUMAR	
11	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	ANIL KUMAR	

12	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	RAMESH KUMAR	
13	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	KISHOR MEGHWAL	
14	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	PUKHRAJ SOLANKI	
15	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	SWAROOPA RAM	
16	Post matric scholarship for SC/ST/OBC(by Govt. of Raj)	RAMESH KUMAR	
17	CM Higher education scholarship Scheme(by Govt. of Raj)	MAMTA	
18	CM Higher education scholarship Scheme(by Govt. of Raj)	MAHAVEER GAAT	
19	CM Higher education scholarship Scheme(by Govt. of Raj)	MUNIRAM	
20	CM Higher education scholarship Scheme(by Govt. of Raj)	MAHENDRA SARAN	
21	CM Higher education scholarship Scheme(by Govt. of Raj)	PAWAN KUMAR GAT	

\*The exact amount is not shared with university by the Govt/funding agency.



 Institute

Name : MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY INSTITUTE

Registration Date : 02/01/2017

Audit Trail (Course Mapping) : [View](#)

 Course

Course Running By Institute, University-wise: [View](#)

Student Section

Academic Year/ शैक्षिक सत्र

2020-21

Department/ विभाग

SOCIAL JUSTICE

Status/ स्थिति

SCHOLARSHIP DISBURSED

Search Criteria

--SELECT--











ENTER VALUE











Showing 1-16 records of 16

Records Per Page

50

Sr. No./ क्र. सं.	Academic Year/ शैक्षणिक वर्ष	Submit Date/ आवेदन की तिथि	Student Name/ विद्यार्थी का नाम	Mobile Number/ मोबाइल नं.	Application Id/ आवेदन आईडी	Caste Category/ जाति श्रेणी	Scheme Name/ योजना का नाम	Current Status/ वर्तमान स्थिति	Pending Days/ लंबित दिन	Action
1	2020-21	01-07-2021 03:53:42 AM	ASHOK KUMAR	6376456263	SCHOLARSHIP/2020-21/3632777 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	310	

2	2020-21	31-07-2021 08:05:29 AM	PRAKASH MEGHWAL	7339738058	SCHOLARSHIP/2020-21/4014053 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	280	
3	2020-21	14-08-2021 09:26:07 AM	JATAN LAL	6378259836	SCHOLARSHIP/2020-21/3782294 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	266	
4	2020-21	21-09-2021 04:53:34 AM	JAYPRAKASH	7611940417	SCHOLARSHIP/2020-21/3742252 (YEAR 2)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	228	
5	2020-21	21-09-2021 08:07:53 AM	RAHUL	7062516051	SCHOLARSHIP/2020-21/4166877 (SEMESTER 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	228	
6	2020-21	25-09-2021 07:19:42 AM	AJAY KUMAR JAIPAL	8963091915	SCHOLARSHIP/2020-21/4101117 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	224	
7	2020-21	13-10-2021 05:52:11 AM	RAM LAL	7665679577	SCHOLARSHIP/2020-21/3614861 (YEAR 2)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	206	
8	2020-21	22-10-2021 02:10:25 AM	SUNIL KUMAR	9649431184	SCHOLARSHIP/2020-21/4056574 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	197	
9	2020-21	22-10-2021 02:10:25 AM	KISHANA RAM	8290193378	SCHOLARSHIP/2020-21/3570372 (YEAR 2)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	197	
10	2020-21	23-10-2021 05:28:10 AM	ASHOK KUMAR	9928440604	SCHOLARSHIP/2020-21/4064416 (YEAR 2)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	196	
11	2020-21	02-11-2021 02:58:56 AM	ANIL KUMAR	9509157590	SCHOLARSHIP/2020-21/4071450 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	186	

12	2020-21	17-02-2022 03:56:58 AM	RAMESH KUMAR	9887110383	SCHOLARSHIP/2020-21/3713707 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	79	 
13	2020-21	19-02-2022 02:38:37 AM	KISHOR MEGHWAL	9828333561	SCHOLARSHIP/2020-21/4182718 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	77	 
14	2020-21	22-04-2022 03:37:10 AM	PUKHRAJ SOLANKI	8107187362	SCHOLARSHIP/2020-21/3614937 (YEAR 2)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	15	 
15	2020-21	22-04-2022 03:37:10 AM	SWAROOPA RAM	9772387504	SCHOLARSHIP/2020-21/3921530 (YEAR 2)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	15	 
16	2020-21	29-04-2022 10:54:05 AM	RAMESH KUMAR	9351090884	SCHOLARSHIP/2020-21/4068730 (YEAR 1)	SC	SCHEME OF POST METRIC SCHOLARSHIP FOR THE SCHEDULE CASTE	SCHOLARSHIP DISBURSED	8	 

 Institute

Name : **MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY INSTITUTE**

Registration Date : **02/01/2017**

Audit Trail (Course Mapping) : [View](#)

 Course

Course Running By Institute, University-wise: [View](#)

Student Section

\*Academic Year/ शैक्षिक सत्र

\*Department/ विभाग

2020-21

COLLEGE EDUCATION

Status/ स्थिति

SCHOLARSHIP DISBURSED

\*Scheme Name/ योजना का नाम

CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME

Search Criteria




--SELECT--

ENTER VALUE

Showing 1-5 records of 5

Records Per Page

10

Sr. No./ क्र. सं.	Academic Year/ शैक्षणिक वर्ष	Submit Date/ आवेदन की तिथि	Student Name/ विद्यार्थी का नाम	Mobile Number/ मोबाइल नं.	Application Id/ आवेदन आईडी	Caste Category/ जाति श्रेणी	Gender/ लिंग	Scheme Name/ योजना का नाम	Current Status/ वर्तमान स्थिति	Pending Days/ लंबित दिन	Action
1	2020-21	06/11/2020 19:00:53 PM	MAMTA	9571927675	SCHOLARSHIP/2020-21/3344615	OBC	FEMALE	CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME	SCHOLARSHIP DISBURSED	275	
2	2020-21	27/01/2021 18:22:51 PM	MAHAVEER GAAT	9828583065	SCHOLARSHIP/2020-21/3410132	OBC	MALE	CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME	SCHOLARSHIP DISBURSED	275	
3	2020-21	27/01/2021 18:37:58 PM	MUNNIRAM	8239030314	SCHOLARSHIP/2020-21/3410188	OBC	MALE	CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME	SCHOLARSHIP DISBURSED	275	

4	2020-21	29/01/2021 13:27:07 PM	MAHENDRA SARAN	6367547731	SCHOLARSHIP/2020- 21/3415039	OBC	MALE	CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME	SCHOLARSHIP DISBURSED	275	 
5	2020-21	28/02/2021 13:30:01 PM	PAWAN KUMAR GAT	7665113044	SCHOLARSHIP/2020- 21/3446202	OBC	MALE	CM HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP SCHEME	SCHOLARSHIP DISBURSED	275	 



# कार्यालय - उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

क्रमांक - सान्याजवि/उ.मै.छा.यो.2016-17 से 18-19/2020/ 3180-3330

दिनांक :- 25/06/2020

अन्तिम अवसर

राजकीय/निजी शिक्षण संस्थान, (समस्त)  
बीकानेर।

- विषय :- शैक्षणिक सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में अनुसूचित जाति/  
अनु० जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक पिछड़ा  
वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आक्षेपित आवेदन  
पत्र जो विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान स्तर पर लम्बित हैं उन्हें अग्रेषित करवाने बाबत।
- प्रसंग :- श्रीमान निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज० जयपुर के पत्रांक  
24243 दिनांक 23.06.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के संबंध में निवेदन है कि विद्यार्थी द्वारा शैक्षणिक सत्र  
2016-17 से 2018-19 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष  
पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में  
राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य से बाहर की राष्ट्रीय स्तर की  
राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा  
विभागीय वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन पेपरलेस आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

ऑनलाईन आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां / आक्षेप होने की  
वजह से स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित किया गया था। उक्त आक्षेपित  
आवेदनों को आक्षेप पूर्ति के उपरान्त संबंधित विद्यार्थी / शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को  
ऑनलाईन आवेदन आक्षेपपूर्ति कर अग्रेषित किया जाना था। किन्तु अनेक अवसर दिए जाने के उपरान्त  
भी कतिपय विद्यार्थियों द्वारा आक्षेपपूर्ति कर अपने शिक्षण संस्थान को एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा उक्त  
शैक्षणिक वर्षों के छात्रवृत्ति आवेदन अपने संस्थान स्तर पर प्राप्त होने के उपरान्त भी नियमानुसार जांच  
उपरान्त आदिनांक तक स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया गया है। पेपरलेस आवेदन पत्रों में  
अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति हेतु अन्तिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गयी है

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियाँ
1	विद्यार्थियों हेतु आवेदन पत्र में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	15 जुलाई 2020

नोट :- विदित रहे विद्यार्थी द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्रों के आक्षेपित आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति  
करने हेतु यह अन्तिम अवसर है निर्धारित तिथि तक आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर छात्रवृत्ति आवेदन  
पत्र विभाग द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

सादर।


भवदीय  
  
उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
बीकानेर  
दिनांक :-

क्रमांक :- सान्याजवि/उ.मै.छा.यो.2016-17 से 18-19/2020/

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. श्रीमान अति. निदेशक, (छात्रवृत्ति एवं छात्रावस) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान  
जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।

  
उपनिदेशक  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
बीकानेर

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

उपसंकाय : एफ 9(4)(5) छात्र/पोर्टल/097/सामाजिक/2015-16/24143

दिनांक : 23-6-2020

अन्तिम अवसर

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2018-19 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग), आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट [www.scholarship.rajasthan.gov.in](http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्रों में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति हेतु अन्तिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	विद्यार्थियों हेतु आवेदन पत्र में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	15 जुलाई 2020

नोट:- विदित रहे कि विद्यार्थी द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्रों के आक्षेपित आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति करने हेतु यह अन्तिम अवसर है निर्धारित तिथि तक आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।


PMS/राज्य  
Ran Kapoor ji  
4/1  
25/6/2020

म 2  
23/6/20  
निदेशक



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनागरी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

  
23/06/2020  
अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)



कार्यालय – उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर

पता:- चौपडा कटला, रानी बाजार, बीकानेर दूरभाष नं० 0151-2226681 ई-मेल-dlo.bik@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- सान्याअवि/उ.मै.छा.यो.2020-21/2020/

6815-6964

दिनांक :- 26/10/2020

राजकीय/निजी शिक्षण संस्थान, (समस्त)  
बीकानेर।

विषय :- विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC /CM/DTNT)के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलेस पोर्टल (SSO.RAJASTHAN.GOV.IN) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महो०, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज० जयपुर के पत्र क्रमांक 50739 दिनांक 16.10.2020 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलेस पोर्टल (SSO.RAJASTHAN.GOV.IN) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन संबंधित कार्य प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल को सत्यापित करने हेतु नोडल अधिकारी का मनोनयन किया हुआ है।


विभागीय आदेश क्रमांक 48300 दिनांक 30.09.2020 द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 01.10.2020 से प्रारंभ कर दिया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि आपके शिक्षण संस्थान की मान्यता/संबद्धता का शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से संबंधित नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर पूर्ण करवाये जानें का श्रम करावें ताकि आपके शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सादर।

भवदीय



उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
बीकानेर


क्रमांक :- सान्याअवि/उ.मै.छा.यो.2020-21/2020/

6965-6967

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, राज० जयपुर।
2. श्रीमान अति. निदेशक, (छात्रवृत्ति एवं छात्रावस) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।



उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
बीकानेर



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जी 3/1, अम्बेडकर नवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक - एक 9(4)(10) छात्र पो / साम्याजवि/2019-20/ 50739

दिनांक : 16/10/2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/  
शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि.विभाग,  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत  
शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग,  
युवा एवं खेल विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं  
संचार विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग,  
श्रम एवं नियोजन विभाग राजस्थान, जयपुर।

विषय : विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC  
/EBC/CM/DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल  
(sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/ बोर्ड/  
काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय आदेश क्रमांक 69197 दिनांक 07.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं  
(SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल  
(sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा  
संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन संबंधित कार्य प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके  
लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आपके विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल को सत्यापित  
करने हेतु नोडल अधिकारी का मनोनयन आप द्वारा किया हुआ है।

छात्रवृत्ति पोर्टल पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके अधीन संचालित  
विश्वविद्यालयों/बोर्ड/काउन्सिल का सत्यापन किये जाने पर ही इन विश्वविद्यालयों/बोर्ड/काउन्सिल के  
अधीन संचालित महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने के पात्र हो सकेंगे।

विभागीय आदेश क्रमांक 48300 दिनांक 30.09.2020 द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल  
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दिनांक 01.10.2020 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन संचालित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल को उनके  
द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सत्यापित करने हेतु  
संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित कराने का श्रम करावें ताकि पंजीकृत महाविद्यालयों में  
अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकें।

भवदीय,

(ओ.पी. बुनकर)  
निदेशक एवं

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक : 16/10/2020

क्रमांक - एक 9(4)(10) छात्र पो / साम्याजवि/2019-20/ 50740-41  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
2. प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय.....।

अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर  
क्रमांक : एफ9(4)(31)छात्र./सान्याअवि/2020-21/ 48300 दिनांक : 30.09.2020  
आदेश

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट [www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship](http://www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship) विलक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	01 अक्टूबर, 2020
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	30 नवम्बर, 2020

नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा एवं गतवर्ष की अंकतालिका में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।
3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई-मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाये एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें।

E:/letter and note sheet 2019-20/ 646



7. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें ।
8. SC/ST/SGS (पूर्व में SBC) /EBC/DNT/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। जैसे - आय का घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र द), मूल निवास विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद।
9. OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया हो, ही मान्य होगा। बी.पी.एल./अन्तोदय/स्टेट बी.पी.एल. का डाटा भामाशाह से लिया जावेगा। वर्ष 2020-21 हेतु आय का घोषणा (नवीन प्रारूप), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज अपलोड करना होगा। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
10. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2020-21 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
11. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में जनाधार पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
12. जनाधार/आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
13. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि जनाधार में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनाधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:-
  - a. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।



b. छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

C. बैंक खाता बन्द न हो।

14. शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई फीस की रसीद में अंकित 8 मद ही यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4. खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृत्ति हेतु देय है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
15. अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (NON REFUNDABLE FEES) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
16. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. वर्ष 2020-21 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।
18. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष समूह योजना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, धुमन्तु, अर्द्धधुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
19. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी


[www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship](http://www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship) पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

212  
निदेशक एवं पदेन 30/05/2020  
संयुक्त शासन सचिव



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. ज.म.उ. विप्रौ. सा. न्या. उ. विभाग, राज. जयपुर।
10. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

  
30/09/2020  
अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)